"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2011—चैत्र 9, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 30 मार्च, 2011 (चैत्र 9, 1933)

क्रमांक-4780/वि. स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011), जो दिनांक 30 मार्च, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 10 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अधिनियम का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में जहां कहीं भी शब्द "उपाचार्य" तथा "व्याख्याता" आया हो, उनके स्थान पर क्रमश: शब्द "सह-आचार्य" तथा "सहायक आचार्य" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 49 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाये; अर्थात् :—

(2) चयन समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :

(एक) कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे;

(दो) विश्वविद्यालय के विद्या-परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नाम निर्देशित संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञ;

(तीन) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष, जहां भी लागू हो;

(चार) विभाग के अध्यक्ष, यदि वह विभाग में आचार्य का पद धारण करता हो ;

(पांच) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित एक शिक्षाविद्;

(छ:) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों/भिन्न रूप में योग्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद् जिसे कुलपति या कार्यकारी कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा, यदि चयन समिति का उपरोक्त कोई भी सदस्य इन वर्गों से संबंधित न हो.

4. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (3) में शब्द "तीन सदस्य" के स्थान पर "चार सदस्य जिसमें दो बाह्य विषय विशेषज्ञ शामिल हों." प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों का वर्गीकरण में आचार्य, उपाचार्य तथा व्याख्याता शब्दों का उल्लेख किया गया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 में "उपाचार्य" तथा "व्याख्याता" में परिवर्तन कर इनके स्थान पर क्रमश: "सह-आचार्य" एवं "सहायक आचार्य" पदनाम किया गया. तद्नुसार पूरे अधिनियम में जहां पर भी उपाचार्य तथा व्याख्याता शब्द आया हो इनके स्थान पर "सह-आचार्य" एवं "सहायक आचार्य" प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 में प्रावधानित शैक्षणिक पदों की चयन समिति की संरचना अनुसार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 की उपधारा (2), जिसमें शैक्षणिक पदों हेतु चयन समिति का उल्लेख है, में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2010 के प्रावधान विश्वविद्यालयों के लिए बंधनकारी है तथा यह संशोधन किए जाने से राज्य शासन के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा. अत: प्रस्तावित विधेयक में धारा 49 की उपधारा (2) में संशोधन का प्रस्ताव है.

उपरोक्तानुसार चयन समिति में संशोधन हो जाने के फलस्वरूप चयन समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ जाने के कारण यू.जी.सी. विनियम 2010 के अनुरूप उक्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (3) के कोरम की पूर्ति के लिए "तीन सदस्यों" के स्थान पर "चार सदस्य" को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

2 अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

तारीख 23 मार्च, 2011

हेमचंद यादव
उच्च शिक्षा मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की जिन धाराओं में संशोधन किया जाना है उनके सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

1. **धारा 4 की उपधारा (बीस) :**

"विश्वविद्यालय का अध्यापक" से अभिप्रेत हैं आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), व्याख्याता (लेक्चरर) तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विद्या-परिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या संस्था में जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो या जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों शिक्षण देने के लिये या गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिये नियुक्त किये गये हों.

* * * * * * * * * * * * * *

2. **धारा 6 की उपधारा (5) :**

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आचार्य पद, उपाचार्य पद, व्याख्याता पद तथा विद्या सम्बन्धी कोई अन्य पद या कोई अन्य अध्यापन पद जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हों संस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना.

(ख) उन व्यक्तियों को जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे हों विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये नियुक्त करना.

* * * * * * * * * * * * * *

3. **धारा 17 :**

(1) विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष कुलपति की सिफारिश पर कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा.

(2) (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया संकायाध्यक्ष पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा. परन्तु कार्य परिषद् यदि वह आवश्यक समझे कुलपति की सिफारिश पर उपाचार्य के पद से अनिम्न पद के किसी अध्यापक को ऐसे अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे मामले में कार्य परिषद् उसे (उस अध्यापक को) दिए जाने के लिए यथोचित भत्ते मंजूर कर सकेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

4. **धारा 24 की उपधारा (बीस) :**

ऐसे आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, व्याख्याता पदों या अन्य अध्यापन पदों को जिनकी कि विद्या सम्बन्धी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्रस्थापना की जाय संस्थित करना.

परन्तु कोई भी अध्यापन पद मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

5. **धारा 24 की उपधारा (बाईस) :**

विश्वविद्यालय के किन्हीं **आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, व्याख्याता पदों** या अन्य अध्यापन पदों को उनके सम्बन्ध में विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने पर समाप्त करना या निलंबित करना.

* * * * * * * * * * * * * *

6. **धारा 25 की उपधारा (दस) :**

विश्वविद्यालयीन **उपाचार्य तथा व्याख्याता** एवं महाविद्यालय के सहायक आचार्य में से तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम दो महिला हों कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

7. **धारा 28 की उपधारा (तीन) :**

विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक **उपाचार्य** जो उक्त विषयों का अध्यापन कर्ता हो जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

8. **धारा 34-क उपधारा (2) :**

(1) प्रत्येक विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय का एक अध्यापक जो विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग के **उपाचार्य** के पद से निम्न पद का नहीं होगा या किसी महाविद्यालय का एक आचार्य जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा और

(2) दस से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किए जायेंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

9. **धारा 34 (क) (3) :**

अन्य विषय या विषयों के समूह के केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे (एक) समस्त विश्वविद्यालयों के उन विषयों के समूह के जिनके लिए केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड गठित किया जाना हो अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष :

परन्तु यदि किसी विश्वविद्यालय में उस विषय या उन विषयों के समूह का कोई अध्ययन बोर्ड न हो तो कुलपति किसी ऐसे अध्यापक को नाम निर्देशित कर सकेगा जो विश्वविद्यालय अध्यापक विभाग के **उपाचार्य** के या किसी महाविद्यालय के आचार्य के पद के से निम्न पद का न हो.

परन्तु यह और भी कि यदि विश्वविद्यालय में उस विषय या उन विषयों के समूह के एक से अधिक अध्ययन बोर्ड हो तो कुलपति विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अध्ययन बोर्डों में से किसी भी अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष को केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

10. धारा 35 की उपधारा (ठ) :

सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के **आचार्यों, उपाचार्यों, व्याख्याता** तथा अन्य अध्यापकों की अर्हतायें.

* * * * * * * * * * * * * *

11. **धारा 49 की उपधारा (1) :**

कोई भी व्यक्ति

(एक) **आचार्य, उपाचार्य या व्याख्याता के रूप में या**

(दो) विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यापन पद पर, जिसका की विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो

उपधारा (दो) के अनुसार गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिशों पर ही नियुक्त किया जायेगा अन्यथा नहीं.

परन्तु यदि पूर्वोक्ति अध्यापन पदों में से किसी भी पद पर की गई नियुक्ति के छः माह से अधिक काल तक चालू रहने की प्रत्याशा न हो और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित विभाग या संस्था के हित के उपाय बिना उसमें विलंब न किया जा सकता हो, तो कार्यपरिषद् उपधारा (दो) के अधीन गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिश अभी प्राप्त किये बिना ही ऐसे नियुक्ति कर सकेगी किन्तु इस प्रकार नियुक्ति किए गये व्यक्ति को प्रवरण समिति के सिफारिश पर के सिवाय उसी पद पर छः मास से अधिक की कालावधि के लिये नहीं रखा जायेगा यह विश्वविद्यालय की सेवा में से किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा.

परन्तु यह और भी कि कोई भी ऐसी नियुक्ति जिसका की 13 फरवरी 1974 के पूर्व पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन किया जा चूकना तात्पर्यित रहा हो और जो ऐसी तारीख को चालू बनी रही हो 30 जून सन् 1974 तक या उपधारा (5) के अनुसार उस पद के भरे जाने तक इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो चालू रहेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

12. **धारा 63 की उपधारा (1) :**

आचार्य तथा उपाचार्य से अभिप्रेत है ऐसे अध्यापक जो कार्य परिषद् द्वारा ऐसे वेतनमानों पर नियुक्त किये गये हों जो कि क्रमशः **आचार्य तथा उपाचार्य** के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित तथा राज्य सरकार द्वारा अतिग्रहित किये गये वेतनमानों से कम न हों और जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित वेतनमान राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किये गये वेतनमानों से अधिक हों वहां राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये वेतनमानों पर नियुक्त किये गये हों.

* * * * * * * * * * * * * *

13. **धारा 63 की उपधारा (2) :**

अतिथि **आचार्य** से अभिप्रेत है ऐसा आचार्य जो कार्य परिषद् द्वारा नियत वर्षों की अवधि के लिये आमन्त्रित किया गया हो या कार्य परिषद् द्वारा संविदा में नियम की गई अल्पवधि के लिये नियुक्त किया गया हों.

* * * * * * * * * * * * * *

14. **धारा 63 की उपधारा (3) :**

किसी विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या प्राध्ययन में के **आचार्य** अतिथि **आचार्य तथा उपाचार्य** से भिन्न कोई अध्यापन पद में व्याख्याता के बराबर होगा यदि वह उस वेतनमान पर नियुक्त किया गया हो जो कि

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा व्याख्याता के लिये अनुमोदित किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये वेतनमान से कम न हों.

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा व्याख्याता के लिये अनुमोदित किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किये गये वेतनमान से कम हों.

* * * * * * * * * * * * * *

15. **धारा 63 की उपधारा (5) :**

किसी महाविद्यालय के **उपाचार्य** तथा **व्याख्याता** से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो कि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में क्रमशः **उपाचार्य या व्याख्याता** के रूप में उस वेतनमान पर नियुक्त किये गये हों जो कि किसी महाविद्यालय के यथास्थिति **उपाचार्य या व्याख्याता** के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये वेतनमान से कम न हों तथा अभिव्यक्ति **व्याख्याता** के अन्तर्गत वह व्यक्ति आता है जो 13 जनवरी सन् 1978 के पूर्व **सहायक आचार्य** के रूप में जो नियुक्त किया गया हो.

धारा 63 की उपधारा (6) कोई ऐसा **व्याख्याता** जो अंशकालिक या सम्मानिक आधार पर विधि संकाय में या किसी अन्य संकाय में जहां ऐसी नियुक्ति विद्या परिषद् द्वारा अनुज्ञात हो, नियुक्त किया गया हो पद में **व्याख्याता** के बराबर होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

16. **धारा 49 की उपधारा (2) :**

(2) प्रवरण समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक) कुलपति—अध्यक्ष

(एक-क) विलोपित : छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1991 द्वारा संशोधित

(दो) विलोपित : छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित

(तीन) विषय का एक विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय से संसक्त न हो जो विद्या-परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा.

(चार) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये गये तीन प्रख्यात शिक्षा विद् जो विश्वविद्यालय से संस्कत न हों जिनमें से कम से कम दो शिक्षा विद् विषय के विशेषज्ञ हों.

(पांच) विलोपित : छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित

* * * * * * * * * * * * * *

18. **धारा 49 की उपधारा (3) :**

प्रवरण समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.